



उधारकर्ता की सहमति सह आवेदन पत्र

(जॉइंट लायाबिलिटी ग्रुप ऋण हेतु आवेदन)

उधारकर्ता का नाम

मैंने घटते शेष के आधार पर प्रति वर्ष की ब्याज दर पर INR की राशि के समूह ऋण के लिए आवेदन किया है।

मैं, आवेदक (या ऋण मंजूर होने की स्थिति में "उधारकर्ता") सहमत हूँ और स्वीकार करता हूँ कि:

- आय और व्यय विवरण सहित आवेदन में दिए गए सभी विवरण और जानकारी सत्य, सही और पूर्ण हैं और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("बैंक") द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई /दबाई नहीं गई है। मैं/हमारे द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता के संबंध में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त लेखन प्रस्तुत करूंगा। मैं बैंक को किसी भी बैंक/व्यक्ति से मेरे बारे में संदर्भ की जाँच करने के लिए अधिकृत करता हूँ।
- मैंने इस आवेदन के नियमों और शर्तों को पढ़/समझ लिया है और एतद्वारा उनसे सहमत हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं उपरोक्त सभी गारंटियों से समय-समय पर शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करने का वचन देता हूँ। इस ऋण आवेदन में उल्लिखित विवरण और इस ऋण आवेदन के अनुलग्नकों सहित नियम और शर्तें शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और हमारे बीच ऋण आवेदन की मंजूरी की तारीख से और/या पूर्ण या आंशिक रूप से ऋण आवंटन की तारीख से एक बाध्यकारी समझौता बनेंगी।
- अन्य सभी जानकारी डिजिटल रूप में संग्रहीत की गई है और मुझे/हमें समझ में आती है। डिजिटल रूप से संग्रहीत जानकारी इस ऋण आवेदन का अभिन्न अंग है।
- इस ऋण आवेदन की प्राप्ति किसी भी तरह से शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को उक्त ऋण देने के लिए बाध्य नहीं करती है, जो कि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निर्णय पर निर्भर होगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि सुविधा की मंजूरी और संवितरण बैंक के निर्णय पर होगा और बैंक को मुझे कोई स्पष्टीकरण दिए बिना मेरे आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है। इस समय तक विभिन्न दस्तावेजों के लिए किया गया कोई भी खर्च मेरे द्वारा वहन किया जाएगा और बैंक उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- आवेदक गारंटी देता है कि नामांकन के दौरान शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को दी गई जानकारी सत्य और सही है और उसके द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन घोषणा पत्र उसके लिए बाध्यकारी होगा।
- मैं/हम इसके द्वारा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा किए गए सभी या ऐसे किसी भी प्रकटीकरण से सहमत है और सहमति देते हैं:
 - हमसे संबंधित जानकारी और डेटा
 - हमें/हमारी ओर से किसी भी क्रेडिट सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा
 - हमें अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में हमारे द्वारा की गई किसी भी चूक, यदि कोई हो, का खुलासा करना होगा और इस संबंध में क्रेडिट इन्फर्मेशन कंपनियों (सीआईसी) और आरबीआई द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को, जैसा कि बैंक उचित और आवश्यक समझे उन्हें प्रस्तुत करना होगा।
- मैं/हम घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा बैंक को प्रदान की गई जानकारी और डेटा सत्य और सही है।
- मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि आवेदन में दिए गए विवरण मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं और यदि उपरोक्त में से कोई भी जानकारी झूठी या असत्य या भ्रामक या गलत पाई जाती है, मैं/हम जानते हैं कि इसके लिए मुझे/हमें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- मैं/हम यह वचन देते हैं:
 - सीआईसी और कोई अन्य अधिकृत एजेंसी बैंक द्वारा प्रकट की गई जानकारी और डेटा का उपयोग उस तरीके से कर सकती है, जैसा वे उचित समझें; और
 - सीआईसी और कोई अन्य अधिकृत एजेंसी, विचार के लिए, बैंकों / वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट अनुदानकर्ताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को संसाधित और प्रकट किए गए डेटा या
 - उनके द्वारा निर्माण किए गए उत्पादों को प्रदान कर सकती है, जैसा कि आरबीआई द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- यदि आवश्यक हो तो मेरा व्यक्तिगत/केवाईसी विवरण केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री और/या वैधानिक प्राधिकरण के साथ साझा किया जा सकता है।
- मैं केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से दिए गए पंजीकृत नंबर/ईमेल पते पर एसएमएस/ईमेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमति देता हूँ।
- मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन पत्र में हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सभी मामलों में सत्य है और यह किसी भी सुविधा/सेवा का आधार बनेगी जिसे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ("बैंक") अपने विवेक से हमें देने का निर्णय ले सकता है। मैं/हम यह भी समझते हैं कि बैंक किसी भी स्रोत से कोई भी जानकारी प्राप्त करने या प्रदान करने और/या अपने विवेक पर किसी तीसरे पक्ष को कोई कार्य सौंपने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमें प्रदान की जाने वाली सुविधा समय-समय पर लागू बैंक के नियमों द्वारा शासित होगी। हमें प्रदान की गई सुविधा के नियमों और शर्तों से मैं/हम बाध्य होंगे।

13. मेरे पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुसार मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय (पति/पत्नी, नाबालिग, बच्चे की आय सहित) आदि, आयकर अधिनियम 1961 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई है, जो अधिनियम के तहत न्यूनतम कर योग्य आय से कम होगी।
14. 50,000/- से अधिक की ऋण राशि के लिए (upto 2%) तक प्रसंस्करण शुल्क (गैर-वापसी योग्य) लिया जाएगा और शेष राशि को कम करने की विधि (बैंक की ईबीएलआर आधारित मूल्य निर्धारण नीति द्वारा शासित) पर ब्याज दर ली जाएगी। अन्य शुल्क - अन्य शुल्क जिनमें वैधानिक शुल्क शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जैसे दस्तावेजीकरण पर स्टॉप शुल्क आदि, जो लागू हों, वास्तविक आधार पर देय हैं और बैंक द्वारा ग्राहक को सूचित किए गए किसी भी अन्य शुल्क के आधार पर देय हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सभी शुल्कों और चार्जस (जहां भी जीएसटी लागू है) पर लागू दरों के अनुसार अतिरिक्त लगाया जाएगा।
15. मैं एतद्वारा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक को नीचे चयनित पुनर्भुगतान आवृत्ति के अनुसार ऋण का पुनर्भुगतान एकत्र करने के लिए अपनी सहमति देता हूं।

मासिक

पाक्षिक

साप्ताहिक

16. मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि बकाया राशि का भुगतान न करने की स्थिति में, बैंक से प्राप्त किसी भी सुविधा के मामले में और परिणामस्वरूप खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, उधारकर्ता के अन्य सभी ऋण खाते, बैंक को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और बैंक को ऐसे खातों में नियमित पुनर्भुगतान के बावजूद, बैंक से एक ही ग्राहक द्वारा लिए गए ऐसे सभी ऋण/सुविधाओं को वापस लेने का अधिकार होगा।
17. मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि बैंक, किसी अन्य समझौते पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने विवेक पर, बैंक द्वारा मुझे दिये गये ऋण के तहत बकाया राशि के भुगतान के लिए बैंक में रखे गए मेरे मौजूदा बचत खाते/आवर्ती जमा/सावधि जमा से किसी भी अतिदेय की वसूली करने के लिए स्वतंत्र होगा।
18. सुविधा की आय का उपयोग बचत योजनाओं, पूंजी बाजार, प्रायमरी गोल्ड, गोल्ड बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, गोल्ड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए नहीं किया जाएगा।
19. मैं/हम सहमत हैं कि बैंक ऋण का उपयोग जेलजरी द्वारा बैंक के किसी डिफॉल्टर सदस्य को वित्तपोषित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
20. मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं/राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं हूं।
21. बैंक या उसके किसी भी प्रतिनिधि द्वारा मुझे ऋण/मंजूरी प्रक्रिया की मात्रा (या) किसी विचलन/माफी के वादे के संबंध में कोई प्रतिबद्धता नहीं दी गई है। इसके अलावा, मैंने इस ऋण आवेदन के संबंध में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसी भी प्रतिनिधि या किसी अन्य प्रतिनिधि को नकद, बियरर चेक या अन्य प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया है।
22. मैं पुष्टि करता हूं कि मेरे खिलाफ कोई दिवालिया/परिसमापन/विघटन की कार्यवाही या कोई अन्य आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और/या लंबित है, मुझे कभी भी किसी अदालत या अन्य प्राधिकारी द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या हमारी संपत्ति के लिए किसी रिसीवर, प्रशासक, ट्रस्टी या समान अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया है।"
23. मैं किसी भी वैधानिक या कानूनी कमज़ोरियों से पीड़ित नहीं हूं, और मैं एक बाध्यकारी समझौता करने में सक्षम हूं।
24. मैं अपने/हमारे आवेदन की स्थिति, खाता गतिविधि, सेवा कॉल(संग्रह, सलाह और शैक्षिक/सूचनात्मक संदेशों सहित), विनियामक अपडेट के साथ-साथ उत्पाद उपयोग संदेश/कॉल के संबंध में एसएमएस अलर्ट/फोन कॉल प्राप्त करने के लिए सहमत हूं जो बैंक समय-समय पर आवेदन में उल्लिखित मेरे/हमारे/फोन नंबर पर भेजेगा/करेगा।
25. FATCA: मैं समझता हूं, सहमत हूं और इसके द्वारा पुष्टि करता हूं कि मैं भारत का नागरिक और स्थायी निवासी हूं और भारत की कर व्यवस्था के अधीन हूं।
26. लागू फेयर प्रैक्टिस कोड बैंकों की वेबसाइट पर उपलब्ध है। Fair-Lending-Practice-Code-Policy.pdf (shivalikbank.com)
27. मैं ऋणदाता बैंक या किसी अन्य बैंक का निर्देशक/ वरिष्ठ अधिकारी नहीं हूं। मैं ऋणदाता बैंक के किसी भी निर्देशक/ वरिष्ठ अधिकारी का निकट संबंधी# नहीं हूं।
28. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हूं और वर्तमान में मेरे खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है।
29. मैं/हम इसे स्वीकार करते हैं
- a) शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मेरे/हमारे आवेदन को संसाधित करने के दौरान मेरे/हमारे आधार नंबर को सत्यापित और प्रमाणित कर सकता है।
- b) आवश्यकता पड़ने पर बैंक मेरे आधार से संबंधित विवरण/जानकारी नियामक/वैधानिक निकायों के साथ साझा कर सकता है।

आवेदक के अंगूठे का निशान/
हस्ताक्षर

दिनांक

आधार सीडिंग/लिकिंग और डीबीटी लाभ प्राप्त करने के लिए सहमति:

मैं एतद्वारा, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपना बचत बैंक खाता खोलने के लिए सहमति देता हूँ
मैं, एतद्वारा, प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने के लिए अपने बचत खाते के साथ आधार को जोड़ने/सीडिंग करने के लिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक को अधिकृत करता हूँ।

मैं अपना आधार नंबर जमा करता हूँ और स्वेच्छा से अपनी सहमति देता हूँ:

- यूआईडीआई से मुझे प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार विवरण का उपयोग करें।
- मुझे एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए नीचे दिए गए मेरे मोबाइल नंबर का उपयोग करें।
- अपने बैंक के साथ मेरे सभी मौजूदा/नए/भविष्य के खातों और ग्राहक प्रोफाइल (सीआईएफ) को आधार संख्या से लिंक करें।

डीबीटी लाभ प्राप्त करने का विकल्प (एक पर टिक करें)

मैं अपने खाता संख्या _____ को एनपीसीआई मैपर के साथ जोड़ना चाहता हूँ ताकि मैं अपने उपरोक्त खाते में भारत सरकार (जीओआई) से एलपीजी सब्सिडी सहित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्राप्त कर सकूँ। मैं समझता हूँ कि यदि मुझे एक से अधिक लाभ हस्तांतरण देय हैं, तो मुझे सभी लाभ हस्तांतरण एक ही खाते में प्राप्त होंगे (उन ग्राहकों के लिए जिनका खाता अभी तक एनपीसीआई मैपर के साथ जुड़ा नहीं है)।

मेरे पास पहले से ही _____ (बैंक का नाम) के साथ एक खाता है, जिसमें IIN नंबर** _____ है, और भारत सरकार से डीबीटी प्राप्त करने के लिए एनपीसीआई मैपर के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरी एनपीसीआई मैपिंग (डीबीटी बेनिफिट अकाउंट) को अपने बैंक में मेरे खाते में बदल दें।

मेरे पास पहले से ही दूसरे बैंक _____ (बैंक का नाम) में एक खाता है, जिसका IIN नंबर** _____ है, और भारत सरकार से डीबीटी प्राप्त करने के लिए एनपीसीआई मैपर से जुड़ा हुआ है। मैं मौजूदा बैंक से अपना एनपीसीआई मैपिंग (डीबीटी लाभ खाता) नहीं बदलना चाहता।

मैं आपके बैंक से एनपीसीआई मैपर के साथ अपने खाते सीड नहीं करना चाहता (मुझे डीबीटी नहीं मिलेगा)।

नामांकन _____ हूँ _____ नहीं। घोषणा करता हूँ कि मैं अपने खाते में नामांकन नहीं करना चाहता हूँ।
नामांकन फार्म DA-1: बैंक जमा के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 कि धारा 45ZA और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 2(1) के तहत नामांकन
मैं/हम निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करते हैं, जिसे मेरे /हमारे /नाबालिग की मृत्यु की स्थिति में उपयुक्त खाते में जमा राशि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक _____ शाखा द्वारा वापस की जा सकती है

नाम	पता	जमाकर्ता के साथ संबंध, यदि कोई हो	आयु	यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग है तो उसकी जन्मतिथि

चूंकि इस तिथि पर नामांकित व्यक्ति नाबालिग है, मैं/हम श्रीमान/श्रीमति (नाम और पता) _____ को नियुक्त करते हैं ।

नामांकित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/नाबालिग की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति की ओर से खाते में जमा राशि प्राप्त करने हेतु । दो गवाहों के नाम, हस्ताक्षर, पते यदि अंगूठे के निशान लिए गए हैं तो

जमकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

--	--

पारिवारिक आय के मूल्यांकन हेतु घोषणा:

मैं/हम एतद्वारा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक को आवेदक द्वारा लिए गए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से ऋण के संबंध में निष्पादित आवेदन पत्र/संबंधित दस्तावेजों में मेरे द्वारा दी गई जानकारी को बिना किसी सूचना के प्रकट करने के लिए अधिकृत करता हूं और सहमति देता हूं, केवाईसी सूचना सत्यापन, क्रेडिट जोखिम विश्लेषण, या अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए बैंक की अन्य शाखाओं/सहायक कंपनियों/सहयोगियों/क्रेडिट ब्यूरो/रेटिंग एजेंसियों, सेवा प्रदाताओं, बैंकों/वित्तीय संस्थानों, सरकारी/नियामक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों को शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक उचित समझे. मैं/हम पुष्टि करते हैं कि आय और व्यय के विवरण सहित आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण और जानकारी सत्य, सही और पूर्ण हैं और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई/दबाई नहीं गई है।

विशिष्ट	परिवार के सदस्य 1	परिवार के सदस्य 2	परिवार के सदस्य 3	परिवार के सदस्य 4	परिवार के सदस्य 5
नाम					
उधारकर्ता के साथ संबंध					
आईडी नंबर					
अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर					

ग्राहक पावती - जेएलजी ऋण

आवेदक का नाम _____ आवेदन की गई ऋण राशि _____ ऋण आवेदन आईडी _____

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड उपर्युक्त ऋण आवेदन पत्र की प्राप्ति की पुष्टि करता है। उक्त ऋण आवेदन पत्र की बैंक द्वारा आवेदन प्राप्ति के अगले 30 कार्य दिवसों के भीतर जाँच की जाएगी। इस ऋण आवेदन की प्राप्ति किसी भी तरह से शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को उक्त ऋण देने के लिए बाध्य नहीं करती है, जो कि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पूर्ण विवेक पर निर्भर होगा।

नाम

दिनांक

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

उद्यम पंजीकरण के लिए सहमति (यदि लागू हो)

भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के साथ पंजीकरण से सूक्ष्म-उद्यमों को बैंक ऋण और अन्य सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच में मदद मिल सकती है। सरकार ने एक विशेष प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है जिसके माध्यम से बैंक अपने सूक्ष्म-उद्यम ग्राहकों को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के साथ उनकी आधार- रूप जानकारी (आधार सहित) साझा करके उद्यम पंजीकरण संख्या प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। (www.udyamassist.gov.in).

☐ मैं/ हम उद्यम पंजीकरण प्राप्त करने के लिए अपनी आवश्यक जानकारी साझा करने के लिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक को सहमति प्रदान करते हैं।

उधारकर्ता का नाम : _____

आवेदक के अंगूठे का निशान/
हस्ताक्षर



शिवालिक

स्वीकृति पत्र

आवेदन क्रमांक

ऋण खाता संख्या:

बी.सी. शाखा

प्रिय महोदय/ महोदया,

Date.....

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक चुनने के लिए धन्यवाद । आपके ऋण का विवरण ऋण कार्ड में फेक्टशीट के साथ उपलब्ध है

उधारकर्ता का नाम		पति/पिता का नाम		ग्राहक आईडी	
ग्रुप का नाम		केंद्र का नाम		मूल बचत बैंक खाता संख्या	

मैं समूह का सदस्य होने के नाते नीचे दिये गए अनुसार समूह के अन्य सभी सदस्यों की गारंटी लेता हूँ

[illegible]

क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के अनुरोध वाले आपके आवेदन और आगे के स्पष्टीकरण और पत्राचार के संदर्भ में, हमें फैक्टशीट में उल्लिखित ऋण राशि की मंजूरी की सलाह देने में खुशी हो रही है। आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली किश्त का उल्लेख ऋण दस्तावेज़ के निष्पादन के समय और तथ्य पत्रक के समय प्रदान किए गए ऋण कार्ड में अलग-अलग किया गया है। यह सुविधा ऋण आवेदन में उल्लिखित नियमों और शर्तों और ऋण कार्ड में उल्लिखित फैक्टशीट में निर्दिष्ट शर्तों के भुगतान के अधीन है।

कृपया ध्यान दें कि आपकी ग्राहक आईडी हमारे पास मौजूद आपके सभी खातों में विशेष है। आपका खाता आपके द्वारा चुने गए खाता प्रकार के आधार पर आपको विभिन्न प्रकार की अन्य सेवाएँ प्रदान करता है। हमारे उत्पाद और सेवाएँ, नियम और शर्तें और शुल्क की अनुसूची वेबसाइट www.shivalikbaink.com पर स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।

कृपया केवल शिवालिक बैंक के अधिकृत व्यक्ति या बैंक के नामित व्यावसायिक प्रतिनिधियों को ही भुगतान करें।

भवदीय

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

उधारकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान

जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप ("जेएलजी") के नियम एवं शर्तें

Condition Specific Loan:

शर्त विशिष्ट ऋण:

1. मैंने/हमने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ("बैंक") लिमिटेड से संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) ऋण कार्यक्रम के तहत क्रेडिट सुविधा ("ऋण") का लाभ उठाया है। मैं/हम ऋण आवेदन और अन्य संबंधित दस्तावेजों (सामूहिक रूप से "ऋण दस्तावेज" के रूप में संदर्भित) में निर्दिष्ट अनुसार ब्याज और अन्य शुल्क/लागत/खर्च के साथ ऋण चुकाने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे। ब्याज घटती शेष राशि के आधार पर लगाया जाएगा।
2. ये नियम और शर्तें ऋण के संवितरण की तारीख से शुरू होंगी और समूह/केंद्र के सभी उधारकर्ताओं द्वारा पूरा ऋण चुकाने या बैंक द्वारा पहले समाप्त किए जाने तक लागू रहेंगी।
3. ऋण का उपयोग आवेदन पत्र में निर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा और जिसके लिए इसे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा स्वीकृत किया गया है। उधारकर्ता को ऋण का उपयोग किसी भी सट्टा उद्देश्य या ऋण आवेदन में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करना चाहिए।
4. उधारकर्ता ने बैंक के साथ अनुबंध करता है कि वह ऋण पर ब्याज और ऋण लेने वाले द्वारा बैंक को देय राशि का भुगतान प्रति वर्ष आवेदन पत्र में उल्लिखित दर पर करेगा जब तक कि ऋण लेने वाले द्वारा सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता। सुविधा पर ब्याज सुविधा के पहले संवितरण की तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा।
5. पहली किस्त संवितरण की तारीख और/या अतिरिक्त ब्याज या किसी अन्य समायोजन, यदि कोई हो, के अनुसार भिन्न हो सकती है।
6. बैंक की ईबीएलआर आधारित उधार दर में बदलाव या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर, निर्धारित ब्याज दर संशोधन के अधीन होगी और रीसेट की जाएगी।
7. सभी ब्याज और अन्य सभी शुल्कों, लागतों, शुल्कों, खर्चों, फौजदारी शुल्कों (यदि कोई हो) पर कोई भी ब्याज दैनिक रूप से अर्जित किया जाएगा और इसकी गणना 365 (तीन सौ पैंसठ) दिन के वर्ष के आधार पर की जाएगी और वास्तव में बीते दिनों की संख्या पर गणना की जाएगी।
8. समय पर ऋण का भुगतान करना और ऋण के नियमों और शर्तों का पालन करना उधारकर्ता की जिम्मेदारी है। समय पर भुगतान ही ऋण का सार है।
9. ऋण का पूर्व-भुगतान उधारकर्ता द्वारा बिना किसी शुल्क, या अतिरिक्त ब्याज के किया जा सकता है।
10. मैं/हम सहमत हैं कि बैंक वर्तमान ऋण, पुनर्भुगतान इतिहास सहित ऋण संबंधी सभी जानकारी बैंक की किसी भी समूह कंपनी, अन्य बैंकों, क्रेडिट ब्यूरो, सेवा प्रदाताओं, वैधानिक और नियामक प्राधिकरणों के साथ साझा कर सकता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि CIBIL या कोई अन्य अधिकृत एजेंसी बैंक द्वारा प्रकट की गई जानकारी और डेटा का किसी भी तरीके से उपयोग/संसाधन कर सकती है जिसे वे उचित समझें। CIBIL या कोई अन्य अधिकृत एजेंसी संसाधित जानकारी, डेटा और उसके उत्पाद बैंकों, वित्तीय संस्थानों ("FIs") या अन्य क्रेडिट अनुदानकर्ताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को RBI द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट विचार के लिए प्रदान कर सकती है।
11. बैंक को उधारकर्ता को क्रेडिट स्टेट्स के बारे में जैसा कि बैंक उचित समझे वैसे पूछताछ करने या कराने का अधिकार होगा। बैंक को उधारकर्ता से ऐसे क्रेडेंशियल मांगने का अधिकार होगा जो उधारकर्ता को क्रेडिट स्टेट्स साबित करने के लिए आवश्यक हो।
12. बैंक, अपने पूर्ण विवेक से, आपको दी गई या मंजूर की गई क्रेडिट सीमा को नवीनीकृत/बढ़ा सकता है। यहां और समय-समय पर संबंधित दस्तावेजों में उल्लिखित किसी भी नियम और शर्तों के गैर-अनुपालन/उल्लंघन के मामले में बैंक के पास सुविधा को बंद करने और बिना किसी सूचना के किसी भी संवितरण को या बैंक को दी गई कोई भी जानकारी/विनिर्देश गलत पाया जाता है या किसी भी विकास या परिस्थिति के मामले में, बैंक की राय में, ऐसी निरंतरता या डिलीवरी से बैंक के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रोकने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक का निर्णय अंतिम और उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा।
13. उधारकर्ताओं को बैंक और/या उसके प्रतिनिधियों के साथ पारस्परिक सहमति के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर मीटिंग्स/शिविरों में भाग लेना चाहिए। यदि उधारकर्ता लगातार दो या अधिक अवसरों पर मीटिंग में भाग लेने में विफल रहता है, तो बैंक और/या उसके प्रतिनिधि उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय और देय सभी बकाया राशि लेने के लिए उधारकर्ता के निवास/कार्यस्थल पर जा सकते हैं।
14. उधारकर्ता इस बात से भी सहमत है कि बैंक को किसी भी समय और समय-समय पर ब्याज दर, अतिरिक्त ब्याज और/या ब्याज चार्जिंग अवधि आदि, जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है, बैंक की वेबसाइट पर या (www.Shivalikbank.com) स्थानीय समाचार पत्रों में या संचार के किसी अन्य माध्यम से जिसे बैंक उचित समझे उसमें परिवर्तन करने का अधिकार होगा, उधारकर्ता को ऐसे परिवर्तनों के बारे में सूचित करके सूचित किया जा सकता है और इसके बाद संशोधित दर पर ब्याज वसूलने का अधिकार ऋण दस्तावेजों का हिस्सा होगा/रहेगा।
15. बैंक द्वारा तय किए गए अनुसार बीमा पॉलिसी को सरेंडर करने के मामले में, मैं/हम बैंक को नए ऋण खाते में मेरे द्वारा देय बकाया राशि के लिए सरेंडर लागू करने के लिए अधिकृत करते हैं।
16. डिफॉल्ट की स्थिति में बैंक को उधारकर्ताओं में से किसी एक द्वारा भुगतान न करने पर अन्य समूह/केंद्र सदस्यों से वसूली करने का अधिकार है।
17. निम्नलिखित में से किसी भी घटना का घटित होना 'डिफॉल्ट की घटना' का गठन करता है:
 - a. यदि उधारकर्ता इस जेएलजी सुविधा के तहत मूलधन या ब्याज या अन्यथा देय समय पर और यहां निर्दिष्ट तरीके से या इस जेएलजी सुविधा के अनुसार निष्पादित किसी भी दस्तावेज की शर्तों के अनुसार भुगतान करने में विफल रहता है;
 - b. यदि उधारकर्ता इस जेएलजी सुविधा के तहत किसी अन्य अनुबंध, शर्तों या समझौते या उधारकर्ता और बैंक के बीच किसी अन्य समझौते के निष्पादन में चूक करता है; यदि कोई अभ्यावेदन भ्रामक या गलत पाया जाता है या उधारकर्ता द्वारा बैंक को प्रस्तुत ऋण आवेदन में कोई महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी दबा दी गई है या छिपा दी गई है;
 - c. यदि उधारकर्ता आम तौर पर आर्थिक कठिनाइयों के कारण या किसी डिफॉल्ट के कारण अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है, या अपने लेनदारों के लाभ के लिए एक सामान्य असाइनमेंट करता है या स्वीकार करता है या किसी भी दायित्व का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। और देय होने पर ऐसी देनदारी का भुगतान नहीं किया जाता है (लेकिन संदेह से बचने के लिए इस उप-धारा में किसी देनदार के संदर्भ में कोई भी ऋण शामिल नहीं होगा जो विवाद में है और जिसके संबंध में देनदार को अदालत द्वारा ऐसे ऋणों का भुगतान करने का आदेश नहीं दिया गया है);
 - d. उधारकर्ता द्वारा दी गई किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति देय होने पर और उधारकर्ता द्वारा मांगे जाने पर उसका सम्मान नहीं किया जाएगा;
 - e. यदि उधारकर्ता बैंक द्वारा आवश्यक जानकारी/दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है।
 - f. यदि उधारकर्ता उस तिथि पर अपना व्यवसाय चलाना बंद कर देता है या बंद करने की धमकी देता है;
 - g. यदि उधारकर्ता कोई कार्रवाई करता है या कोई कानूनी कार्यवाही शुरू करता है या उसके लिए अन्य कदम उठाए जाते हैं
 - (i) देनदार को दिवालिया या दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा या पाया जाएगा
 - (ii) देनदार या उसके संपूर्ण उपक्रम, संपत्ति और परिसंपत्तियों के परिसमापक, प्रशासक, ट्रस्टी या रिसीवर या समान अधिकारी की नियुक्ति;
 - h. यदि उधारकर्ता इस ऋण को अस्वीकार करता है या इस ऋण को अस्वीकार करने के इरादे को इंगित करने वाला कोई कार्य या बात करता है या करने का कारण बनता है;

- i. यदि ऐसी घटना कोई घटती है जो बैंक की राय में बैंक के हित के लिए प्रतिकूल है या बैंक की एकमात्र राय में उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति या उसके सभी या किसी भी दायित्व को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करने की संभावना है इस ऋण के तहत और इस जेएलजी की किसी भी शर्त का अनुपालन करना।
 - j. उधारकर्ता ने ऋण या उसके किसी भाग के दुरुपयोग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऋण स्वीकृत किया है।
 - k. इस जेएलजी ऋण के निष्पादन, वितरण, वैधता, प्रवर्तन या साक्ष्य स्वीकृति के संबंध में उधारकर्ता द्वारा आवश्यक किसी भी सरकारी या सार्वजनिक निकाय या प्राधिकारी को किसी सरकारी या सार्वजनिक रजिस्ट्री के साथ कोई सहमति, प्राधिकरण, अनुमोदन या लाइसेंस या पंजीकरण या घोषणा उधारकर्ता द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन को बैंक के लिए अस्वीकार्य तरीके से संशोधित किया जाता है या अस्वीकृत कर दिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है।
18. यदि यहां उपरोक्त घटनाओं में से एक या अधिक घटित हुई हैं, तो बैंक उधारकर्ता को एक लिखित नोटिस द्वारा मूलधन और ऋण पर सभी अर्जित ब्याज की घोषणा कर सकता है जो कि इस जेएलजी ऋण के तहत या शर्तों के तहत उधारकर्ता द्वारा भुगतान किया जा सकता है, और/या उधारकर्ता और बैंक के बीच मौजूद किसी भी अन्य समझौते/दस्तावेजों के साथ-साथ अन्य सभी शुल्क और बकाया देय होंगे और ऐसी घोषणा पर वे किसी भी चीज के बावजूद, तुरंत लागू करने योग्य और देय हो जाएंगे।
 19. बैंक को ऋण के संबंध में ऋण दस्तावेजों के निष्पादन और मुद्रांकन या ऋण के अनुसार सुरक्षा के निर्माण सहित किसी भी अन्य शुल्क या खर्च या बैंक के दावों को उधारकर्ता से वसूलने का अधिकार होगा।
 20. उधारकर्ता, बैंक के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक को क्षतिपूर्ति दें और बैंक को किसी भी क्षति, लागत, शुल्क या व्यय का भुगतान और प्रतिपूर्ति करें, जिसे बैंक डिफॉल्ट की घटना के परिणामस्वरूप या अन्यथा ऋण के संबंध में निरंतर या खर्च किए जाने के लिए प्रमाणित करेगा।
 21. उधारकर्ता बैंक को किसी ऐसी घटना के बारे में सूचित करेगा जिसका उसके व्यवसाय या लाभप्रदता पर भौतिक प्रभाव पड़ने की संभावना हो। उदाहरण के लिए, यदि मासिक आय बैंक को सूचित की गई राशि से बहुत कम है, तो उधारकर्ता तदनुसार स्पष्टीकरण और प्रस्तावित उपायों के साथ बैंक को सूचित करेगा।
 22. उधारकर्ता ने सभी सार्वजनिक मांगों जैसे आयकर और अन्य सभी करों और राजस्व का भुगतान भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को कर दिया है और कि ऐसे 'कर' और राजस्व वर्तमान में देय और बकाया नहीं हैं।
 23. मैं/हम एतद्वारा खाता खोलने के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण से गुजरना स्वीकार करते हैं और इसे अनुमोदन पत्र की स्वीकृति के रूप में माना जाएगा और तदनुसार ई-सत्यापन की तारीख और समय की मुहर अनुमोदन पत्र में दर्ज की जाएगी।
 24. उपरोक्त सभी नियम और शर्तें मेरे द्वारा समझी जाने वाली भाषा में समझाई गई हैं।
 25. आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली किश्त का उल्लेख ऋण कार्ड में किया गया है। यह सुविधा ऋण आवेदन में उल्लिखित नियमों और शर्तों और आपके द्वारा निम्नलिखित शुल्कों के भुगतान के अधीन है।
 26. उधारकर्ता को ऋण से संबंधित या उसके संबंध में कानून की मंजूरी के साथ किसी भी सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लगाए जाने वाले सभी शुल्क, चार्ज और करों (ब्याज, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों सहित, यदि कोई हो) का भुगतान करना होगा। स्टाम्प ड्यूटी, बीमा प्रीमियम, संग्रहण/वसूली शुल्क, वकील की फीस और अन्य शुल्क जैसे सभी आकस्मिक खर्च जो ऋण के संबंध में उत्पन्न होते हैं, उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।
 27. ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय, उधारकर्ता को कोई पूर्व सूचना दिए बिना, बैंक अपने विवेक से ऋण को रद्द कर सकता है और किसी भी संवितरण को रोक सकता है। बैंक उधारकर्ता को एक लिखित नोटिस द्वारा और ऋण की शर्तों के तहत उपलब्ध अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सुविधा के संबंध में उधारकर्ता की सभी बकाया राशि का भुगतान करने और/या सेट-ऑफ के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए उधारकर्ता से अनुरोध कर सकता है। नियम और शर्तों के सभी प्रावधान पूरी ताकत और प्रभाव में बने रहेंगे, जैसा कि यहां विशेष रूप से यथोचित परिवर्तनों के साथ प्रदान किया गया है, जब तक कि उधारकर्ता द्वारा सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।
 28. ऋण भारतीय कानूनों द्वारा शासित होगा और उस शहर की अदालतें जहां बैंक ऋण खाता रखता है और/या जहां ऋण वितरित किया जाता है, का विशेष क्षेत्राधिकार होगा। उपरोक्त के बावजूद, बैंक किसी अन्य शहर में किसी भी अदालत, फोरम या ट्रिब्यूनल में कार्यवाही शुरू करने/दायर करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसके पास मामले पर अधिकार क्षेत्र भी हो सकता है और उधारकर्ता बैंक के ऐसे अधिकार के लिए सहमति देता है।
 29. मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि लेन-देन दस्तावेजों या उसके प्रदर्शन से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी दावों और विवादों को ऋणदाता द्वारा नियुक्त एकल मध्यस्थ के माध्यम से मध्यस्थता द्वारा निपटारा किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान नोएडा (उ.प्र.) होगा। मध्यस्थता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट), 1996 या उसके किसी वैधानिक संशोधन या उसके वर्तमान लागू प्रावधानों के तहत आयोजित की जाएगी और ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और उधारकर्ता और ऋणदाता पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता के अधीन, नोएडा, उ.प्र. की अदालतों के पास विशेष क्षेत्राधिकार होगा।
 30. यहां दिए गए किसी भी नोटिस, मांग, बयान या संचार (किसी भी रूप में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक) पर बैंक के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित किए जाएंगे और डिलीवरी की तारीख या उधारकर्ता के अंतिम ज्ञात पते पर डिलीवरी के प्रयास पर प्रभावी होंगे।
 31. मैंने/हमने शिवालिंक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में बचत बैंक खाता खोला है। मैं/हम बैंक पासबुक जारी करने का विकल्प चुनते हैं और पासबुक अपडेट के बदले बीसी शाखाओं में अद्यतन खाता विवरण प्राप्त करने के लिए सहमत हैं। बैंक इस तरह के खाता विवरण जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा।

32. आईआरएसी प्रूडेंशियल मानदंडों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

a. 'बकाया' शब्द का क्या अर्थ है?

'बकाया' शब्द का अर्थ है, 'बकाया' शब्द का अर्थ है, ऋण खाते पर लगाया गया मूलधन/ब्याज/कोई भी शुल्क जो क्रेडिट सुविधा की मंजूरी की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर देय होता है।

b. 'अतिदेय' शब्दों का क्या अर्थ है?

'ओवर ड्यूज़' का अर्थ है मूलधन/ब्याज/ऋण खाते पर लगाया गया कोई भी शुल्क जो देय है, लेकिन क्रेडिट सुविधा की मंजूरी की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि पर या उससे पहले भुगतान नहीं किया गया है।

c. किसी ऋणदाता संस्था को ऋण के संबंध में 'अतिदेय' क्या है?

किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत ऋण देने वाली संस्था को देय कोई भी राशि 'अतिदेय' होती है यदि इसका भुगतान ऋण देने वाली संस्था द्वारा निर्धारित नियत तारीख पर या उससे पहले नहीं किया जाता है।

d. स्ट्रेस्ट अकाउंट क्या है?

ऋण लेने से पहले उधारकर्ताओं को सहमत शर्तों के अनुसार आवधिक अंतराल पर ईएमआई/किस्त/ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। यदि ऐसी देय ईएमआई/किस्त/ब्याज का भुगतान सहमत शर्तों पर नियत तिथि पर या उससे पहले नहीं किया जाता है, तो ऐसे खाते को 'स्ट्रेस्ट अकाउंट' कहा जाता है।

e. स्पेशल मेंशंड अकाउंट (एसएमए) क्या है?

बकाया भुगतान में चूक के कारण तनाव के लक्षण दिखाने वाले ऋण खाते को 'स्पेशल मेंशंड अकाउंट' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। (एसएमए)। ऐसे खातों को यदि 90 दिनों के भीतर नियमित नहीं किया जाता है तो उन्हें 'नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स' (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

f. एसएमए को कैसे वर्गीकृत किया जाता है?

एसएमए को निम्नलिखित उप-श्रेणियों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

एसएमए/एनपीए श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार – मूलधन या ब्याज या किसी अन्य राशि का भुगतान पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय है।
एसएमए -0	30 दिनों तक
एसएमए -1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए -2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक
एनपीए	90 दिनों से अधिक

g. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या हैं?

किसी क्रेडिट सुविधा/संस्थाओं में जहां नीचे बताए अनुसार तनाव/अपराध/कमियां देखी जाती हैं, ऐसे उधार खातों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

i) सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय है।

h. किसी ऋण को एसएमए -0, एसएमए -1, एसएमए -2 और एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उदाहरण दें:

i) उन खातों के संबंध में जहां ईएमआई/किस्तें देय हैं:

उदाहरण: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2022 है और ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि के लिए अंतिम प्रक्रिया शुरू करने से पहले पूरा बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2022 होगी और 31.03.2022 को खाते को एसएमए -0 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

यदि यह अतिदेय बना रहता है, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 2022 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर एसएमए -1 के रूप में टैग किया जाएगा।

तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए -1 वर्गीकरण की तारीख 30 अप्रैल, 2022 होगी।

इसी प्रकार, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2022 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एसएमए -2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून, 2022 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

i. ऋण देने वाली संस्थाएँ किस आवधिकता पर खातों को एसएमए या एनपीए के रूप में वर्गीकृत करती हैं?

ऋण देने वाली संस्थाएं दिन के अंत की प्रक्रिया के दौरान दैनिक आधार पर खातों को एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया अपनाती हैं।

j. यदि उधारकर्ता का एक ऋण खाता एनपीए हो जाता है तो क्या उसके सभी ऋण खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है?

हाँ, एनपीए वर्गीकरण उधारकर्ता के अनुसार होता है न कि खाता के अनुसार। इसलिए यदि उधारकर्ता के एक ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो उधारकर्ता के अन्य सभी ऋण खातों को भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

k. क्या एनपीए मार्किंग प्रक्रिया के दौरान दिन के दौरान भुगतान/जमा की गई राशि को ध्यान में रखा जाता है?

एसेट्स वर्गीकरण प्रक्रिया शुरू करते समय दिन के अंत की प्रक्रिया से पहले प्राप्त क्रेडिट को विलंब गणना के लिए माना जाता है। उसके बाद प्राप्त किसी भी क्रेडिट को अगले दिन

की रसीद के रूप में माना जाता है।

l. एनपीए के रूप में वर्गीकृत होने के बाद उधारकर्ता खातों को नियमित स्थिति में कैसे अपग्रेड किया जाता है?

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को बकाया राशि वाले उधारकर्ता के सभी ऋण खातों के नियमितीकरण और ऋण खातों की समीक्षा/नवीनीकरण और स्टॉक और बुक ऋण से

संबंधित अटेंडेंट अनियमितताओं के सुधार के बाद ही स्टैंडर्ड एसेट्स में अपग्रेड किया जाएगा।

m. यदि खाता स्ट्रेस/एनपीए में चला जाता है तो उधारकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को समय-समय पर सेन્ટ्रल रिपॉजिटरी इन्फर्मेशन ऑफ़ लार्ज क्रेडिट (सीआरआईएलसी), क्रेडिट सूचना कंपनियों आदि को उधारकर्ताओं

के क्रेडिट हिस्ट्री और संबंधित परिणामों को प्रभावित करने वाले स्ट्रेस/डिफॉल्ट/एनपीए के बारे में रिपोर्ट करना आवश्यक है।

(नोट: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऊपर बताई गई उपभोक्ता शिक्षा की सामग्री प्रकृति में उदाहरणात्मक है और इसलिए, आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए आईआरएसीपी मानदंड और वर्गीकरण समय-समय पर कार्यान्वयन के लिए मान्य होंगे)

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की घोषणा:

33. शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड बकाया वसूली के लिए रिकवरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। स्टाफ के सभी सदस्यों या बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति को उधारकर्ताओं के साथ अपने व्यवहार को नियंत्रित करने वाली निष्पक्ष प्रथाओं और आचार संहिता का पालन करना चाहिए। बैंक हर समय अपने कर्मचारियों और/या वसूली एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं के कर्मचारियों के अनुचित आचरण के लिए जिम्मेदार होगा और उधारकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायतों का समय पर निवारण करेगा।

ई-केवाईसी के लिए विशिष्ट शर्तें:

34. आधार सीडिंग/लिंगिंग सहमति: मैं/हम, एतद्वारा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को मेरे खाते से आधार लिंगिंग/सीडिंग के लिए अधिकृत करते हैं। मैं/हम अपना आधार नंबर जमा
35. करते हैं और स्वेच्छा से निम्नलिखित के लिए अपनी सहमति देते हैं:
- यूआईडीएआई से मुझे प्रमाणित करने के लिए मेरे/हमारे आधार विवरण का उपयोग करें।
 - मुझे एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए एप्लिकेशन में सबमिट किए गए मेरे/हमारे मोबाइल नंबर का उपयोग करें।
 - अपने बैंक के साथ मेरे सभी मौजूदा/नए/भविष्य के खातों और ग्राहक प्रोफाइल (सीआईएफ) को आधार नंबर से लिंक करें।

मैं एतद्वारा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अधिकृत करता हूँ

मेरे ऋण संवितरण दस्तावेजों को स्वीकार करने के उद्देश्य से, यूआईडीएआई की आधार आधारित ई-केवाईसी सेवाओं के माध्यम से मेरी पहचान प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार/वर्चुअल आईडी विवरण का उपयोग करें।

मैं उपरोक्त नियम एवं शर्तों से सहमत एवं स्वीकार करता हूँ।

उधारकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

यह ऋण बैंक के बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट _____ द्वारा शुरू किया गया है और बैंक बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट के सभी चूकों और कृत्यों के लिए ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी है।

मुख्य तथ्य विवरण

भाग - 1 (ब्याज दर और शुल्क / प्रभार)

क्र सं	मापदंड	विवरण		क्र सं	मापदंड	विवरण	
1	समूह नाम			8	ऋण का प्रकार	सावधि ऋण	
2	समूह आईडी			9	कुल ब्याज राशि		
3	सदस्य का नाम			10	शुद्ध वितरित राशि		
4	सदस्य आईडी			11	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि		
5	ऋण प्रस्ताव/ खाता संख्या			12	संवितरण अनुसूची	100% प्रत्यक्ष	
6	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)			13	ऋण अवधि (वर्ष/माह/दिन)	महीने के	
7	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)						
14	किश्त विवरण	किश्तों का प्रकार	ईपीआई की संख्या	ईपीआई (₹)	संवितरण तिथि	पुनर्भुगतान की शुरुआत, मंजूरी के बाद	पुनर्भुगतान की अंतिम तिथि
		महीने के					
15	ब्याज दर (%) और प्रकार (स्थायी या अस्थायी या हाइब्रिड)		स्थायी				
16	अस्थायी ब्याज दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी						
	संदर्भ बेंचमार्क	बेंचमार्क दर (%) (बी)	स्प्रेड (%) (एस)	अंतिम दर (%) आर = (बी) + (एस)	रीसेट आवधिकता (महीने)		संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव, ('आर' में 25 बीपीएस परिवर्तन के लिए, निम्न में परिवर्तन।)
					बी	एस	ईपीआई(₹)
	ना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
17	शुल्क / प्रभार		आरई (ए) को देय			आरई (बी) के माध्यम से तृतीय पक्ष को देय	
			एक बार/ आवर्ती	राशि (₹ में) या प्रतिशत (%) जो लागू हो	एक बार/ आवर्ती	राशि (₹ में) या प्रतिशत (%) जो लागू हो	
	I)	प्रसंस्करण शुल्क	एक बार		लागू नहीं	लागू नहीं	
	II)	बीमा शुल्क (क्रेडिट लाइफ)	एक बार		एक बार		
	III)	मूल्यांकन शुल्क	लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं	
	IV)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	एक बार		एक बार		
18	आकस्मिक शुल्क का विवरण (₹ या %में, जैसा लागू हो)						
	I)	विलंबित भुगतान के मामले में दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो					शून्य
	II)	अन्य दंडात्मक प्रभार, यदि कोई हो					शून्य
	III)	पुरोबंधात्मक शुल्क, यदि लागू हो					शून्य
	IV)	ऋणों को अस्थायी से स्थायी दर में बदलने और इसके विपरीत करने के लिए शुल्क					शून्य
	V)	कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)					शून्य
19	ऋण का उद्देश्य						

भाग - 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

1	वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित ऋण करार का खंड			लागू नहीं	
2	शिकायत निवारण तंत्र का विवरण संबंधी ऋण करार का खंड			ऋण कार्ड में उपलब्ध	
3	नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी			ऋण कार्ड में उपलब्ध	
4	क्या ऋण अन्य आरई को अंतरित करने या प्रतिभूतिकरण के अधीन है, या भविष्य में हो सकता है (हां/नहीं)			लागू नहीं	
5	सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (उदाहरण के लिए , सह-उधार / आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जाएं:	मूल आरई का नाम और उसका वित्त पोषण अनुपात		भाग़ीदार आरई का नाम और उसका वित्त पोषण अनुपात	मिश्रित ब्याज दर
		लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं
6	डिजिटल ऋण के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जाएं:	I)	आरई के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई दंड नहीं लिया जाएगा।		लागू नहीं
		II)	वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण		लागू नहीं

इनश्योरेंस सहमति पत्र

मैं एतद्वारा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से एक उपयुक्त बीमा पॉलिसी लेने के लिए अनुरोध करता हूं और अपनी अटल सहमति देता हूं:

☐ क्रेडिट लिंकड इश्योरेंस* ☐ हॉस्पीकैश*

मृत्यु जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में, क्रेडिट लिंकड बीमा दावा निपटान राशि (यदि लागू हो) सीधे बैंक द्वारा ऋण खाते में जमा की जाएगी। ऋण समायोजन के बाद कोई भी शेष राशि का भुगतान आवेदक के नामांकित व्यक्तियों को किया जाएगा। हॉस्पीकैश पॉलिसी के लिए, दावा निपटान लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा।

बीमा पॉलिसी विवरण

बीमा प्रकार	क्रेडिट लिंकड इश्योरेंस	हॉस्पीकैश
बीमा की आरंभ तिथि		
बीमा की अंतिम तिथि		
बीमाकर्ता- 1 का नाम		
नॉमिनी का नाम		
बीमाकर्ता- 2 का नाम		
नॉमिनी का नाम		

बीमाकर्ता के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

नॉमिनी के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

प्राप्ति सूचना

प्रिय मूल्यवान ग्राहक,

हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि बैंक पहली ईएमआई एकत्र करते समय ऋण कार्ड के साथ ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची भी प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास अपने ऋण और उसकी पुनर्भुगतान शर्तों के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी है।

हमारी सेवाओं को चुनने के लिए धन्यवाद.